न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री भेरा पुत्र दीता जाति ग्रासिया निवासी माता देवी तहसील आबूरोड मृतक के कायम मुकाम:– 1/1 श्रीमती मेथकी पत्नि भेरा 1/2 श्रीमती नाजु पत्नि भेरा 1/3 चुना पुत्र भेरा 1/4 अमरा पुत्र भेरा 1/5 धना पुत्र भेरा 1/6 प्रभु पुत्र भेरा 1/7 पप्पु पुत्र भेरा 1/8 तेरसा पुत्र भेरा 1/9 मोहन पुत्र भेरा 1/10 भोपा पुत्र भेरा 1/11 मणा राम पुत्र भेरा 1/12 रमेश पुत्र भेरा 1/13 सवीता पुत्री भेरा 1/14 मंजु पुत्री भेरा जातियान ग्रासिया, निवासियान मातादेवी तहसील आबूरोड 1/15 मोदनी पुत्री भेरा पत्नी पप्पु निवासी पान्सा, अम्बाजी 1/16 मीरा पुत्री भेरा पत्नी सका निवासी पान्सा, अम्बाजी 1/17 प्रेमी पुत्री भेरा पत्नी देवा निवासी चण्डेला 1/18 फुली पुत्री भेरा पत्नी शैलेन्द्र निवासी पान्सा अम्बाजी		1. श्री भीमा पुत्र नाथा, जाति ग्रासिया, निवासी माता देवी 2. श्री गोंगा पुत्र धन्ना, जाति ग्रासिया, निवासी माता देवी 3. श्री काला पुत्र नाथा, जाति ग्रासिया, निवासी माता देवी 4. श्री सामीडा पुत्र नाथा, जाति ग्रासिया, निवासी माता देवी 5. श्रीमती रूपी पत्नी कसना, जाति ग्रासिया, निवासी माता देवी, तहसील आबूरोड 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 212 आर टी एक्ट एवं संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 09/2015

दिनांक 23-12-2020

निर्णय

यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा माता देवी पटवार हल्का आबूरोड तहसील आबूरोड में निम्नलिखित कृषि भूमि आयी हुई है, जिसका रकबा निम्न प्रकार है :–

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
117	01 बीघा 03 बिस्वा	जाव, चाही
118	12 बिस्वा	ब–3
120	13 बिस्वा	बंजर
121	01 बीघा 19 बिस्वा	ज–3, चाही–3
122	03 बीघा 13 बिस्वा	ब–1
123	02 बीघा 18 बिस्वा	ब–1
131	01 बीघा 08 बिस्वा	ब–3
134	17 बिस्वा	ब–2
कुल किता–8 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा		

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

यह कि उक्त कृषि भूमि संवत 1999 के रेकर्ड में प्रार्थी के पिता दीता वल्द जेठा के नाम दर्ज थी, एवं प्रार्थी के पिता का ही कब्जा काश्त था, सेटलमेंट में उक्त खसरा, पुराने खसरा के स्थान पर कुल 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि बनी, संवत 2029 से पूर्व तक प्रार्थी के पिता का नाम ही रेकर्ड में दर्ज था एवं मौके पर कब्जा भी प्रार्थी के पिता का ही था तथा उसके पश्चात से प्रार्थी के पिता के जीवनकाल से प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। गत वर्ष माह जून 2014 से पूर्व तक प्रार्थी को यही ज्ञान था कि उक्त भूमि प्रार्थी के ही खातेदारी में दर्ज है, माह जून 2014 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बताया की प्रार्थी उक्त भूमि खाली कर अप्रार्थीगण को कब्जा सुपुर्दी करे रेवेन्यु रेकर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है, जिस पर प्रार्थी ने रेवेन्यु कर्मचारियों की गलती से अथवा अप्रार्थीगण की मिलीभगती से दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोई कुटुम्बी रिश्तेदार नहीं है। रेवेन्यु रेकर्ड की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि संवत 2029 में सेटलमेंट के समय अप्रार्थीगण ने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलीभगत कर काला पुत्र गोमा ने 1/3 हिस्सा तथा भोमा, धन्ना, काला, सामीडा पिसरान नाथा ने 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया है, जबकि मौके पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र ही अपने पिता दीता के जीवनकाल से गत 70 वर्षो से लगातार काबिज काश्त है। प्रार्थी एडवर्श पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर भी एडमिटेड खातेदार कृषक बन चुका है। इस कारण भी खातेदारी की घोषणा का वाद पेश किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के संयुक्त रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही होना साबित नही कर पाये है तथा प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।**

आदेश

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के संयुक्त रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही होना साबित नही कर पाये है तथा प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।**

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 गौरव सैनी) आई0ए0एस0
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:37 IST
Reason: SelfAttested